राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,राजस्थान, जयपुर
फोन न. 0141–2221463, Email ID: uhcrajasthan@gmail.com

F- 42(504)/NHM/HWC/CHO/ 2022-23/ 236 दिनांकः– 05 | 08 | 2022

आदेश

उप स्वास्थ्य केन्द्र परिवर्तित हैल्थ वैलनेस सेन्टर पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ANM) का उतरदायित्व (ToR) सामुदायिक स्वाथ्य अधिकारी के पर्यवेक्षण में निम्न प्रकार होगाः–

1. चिकित्सकीय कार्यः–

- सामान्य ओपीडी सेवाएं।
- गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण पी.सी.टी.एस. पोर्टल पर करते हुए ममता कार्ड जारी करना।
- प्रसव पूर्व जांच करते हुए उच्च जोखिम वाले गर्भधारण, नवजात जन्म और प्रसवोत्तर मामलों की पहचान करना।
- स्क्रीनिंग गर्भावस्था के दौरान विभिन्न बिमारियों यथा मधुमेह और सिफिलिस, योन रोग , आंख, ईएनटी, टीबी, कुष्ठ, गैर–संचारी रोग, वेक्टर जनित रोग, सामान्य मानसिक रोग, मादक द्रव्यों का सेवन और मिर्गी मामले, शारीरिक विकास में देरी और विकलांगता और अन्य जन्मजात विसंगतियों के संदिग्ध मामलों का रेफरल और आगे की देखभाल।
- बच्चों में रक्त अल्पत्ता, पोषक तत्वों से होने वाले रोगों, वैक्सीन से बचाव योग्य रोगों की पहचान कर उनके पूर्ण टीकाकरण कर आगे देखभाल करना तथा प्रबन्धन में सहयोग करना एवं टीकाकरण से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में रिपोर्ट करना।
- जांच सुविधा :मूत्र जाँच के माध्यम से गर्भावस्था का परिक्षण, हिमोग्लोबिन, रक्त शर्करा परिक्षण एवं विभिन्न सेवा पैकेज के अनुसार निर्धारित जाँच करना।
- प्रसूति से सम्बन्धित आपात स्थितियों जैसे एक्लेम्सिया, पीपीएच, सेप्सिस, आदि का पहचान कर समय पर उच्च संस्थान पर भिजवाना एवं चिकित्सकीय दल को अन्य आपात प्रकरणों में सहयोग करना।
- राज्य सरकार द्वारा अधिकृत जिन स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर जहाँ संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध है वहां उचित उपचार प्रदान करना एवं उन प्रकरणों जिनमें घर आधारित देखभाल करने में यदि आशा सहमत हो तो उच्च संस्थानों पर रेफरल करना।
- आशा द्वारा कैंसर/मिर्गी/सी.ओ. पी. डी. आदि हेतु भरे गए CBAC फॉर्म की समीक्षा कर पूर्ण करवाना।
- रोगी से दिये जा रहे उपचार की पालना सुनिश्चित करवाना।

2. जन स्वास्थ्य कार्यः–

(क) आशा के साथ मिलकर स्वास्थ्य कल्याण केंद्र की परिसीमा में एवं शहरी क्षेत्रों (जहाँ आशा उपलब्ध नहीं है) का घरेलु सर्वेक्षण कर आबादी की गणना के आधार पर विस्तृत मानचित्रण करना एवं वहाँ आर.सी.एच. जरूरतों एवं जोखिम का आंकलन करना आदि।

(ख) सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा एवं परामर्श देनाः–

- गर्भावस्था के दौरान होने वाले खतरे के संकेतों के बारे में अवगत करवाते हुए संस्थागत प्रसव, स्तनपान, प्रसवोतर देखभाल, माँ के दूध के अतिरिक्त पूरक आहार, पोस्टिक आहार के महत्व को समझाना।
- एनीमिया से बचाव के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषक तत्वों और बच्चों में आयरन युक्त आहार का सेवन करने का महत्व, के बारे में बताना होम विजिट करना और वीएचएसएनसी के माध्यम से समुदाय में पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, स्वस्थ जीवन आदि सहित बचपन और किशोर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देना।

- परिवार नियोजन/बच्चों की शिक्षा/लिंग चयन के खतरे/विवाह के समय उम्र/महामारी /आपदा प्रबंधन/किशोर स्वास्थ्य की जानकारी देना।
- संचारी और वेक्टर जनित रोग संक्रमणों के दौरान देखभाल के विषय की जानकारी देना।
- उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे गैर–संचारी रोगों के लिए आवश्यक जीवन शैली में बदलाव तथा स्वास्थ्य कल्याण केंद्र या एनसीडी एवं अन्य सुविधाओं पर जांच का महत्व और उपचार योजना का पालन सुनिश्चित करना।
- प्रसवपूर्व और स्तनपान कराने वाली माताओं, स्कूली बच्चों और किशोरों को मौखिक रूप से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना साथ ही प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना और मौखिक Oral Health स्वास्थ्य समस्याओं से सम्बन्धित मामलों को रेफर करवाना।
- तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करना/जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केन्द्रों के लिए रेफरल सुविधा की जानकारी देना।
- समुदाय और स्कूलों के स्तर पर श्रवण दोष/बहरापन, दृष्टिबाधित की रोकथाम और शीघ्र पता लगाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना।
- विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं के संबंध में समुदाय को जानकारी देना।

3. **क्षेत्र/घर का भ्रमणः–**
   - अपने भ्रमण के दौरान उन गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता देंना जो एएनसी क्लीनिक में नियमित प्रसव जाच हेतु शामिल नहीं हो पाई हैं, उन्हें सिस्टम में वापस लाना एवं उन्हें संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना।
   - घर के दौरे के बाद आशा द्वारा बताए अनुसार प्रसवोत्तर माताओं को घर–आधारित सेवाएँ प्रदान करना एवं आशा नहीं होने की स्थिति में भी सेवाएँ प्रदान की जानी है।
   - टीकाकरण सत्र से चूक गए बच्चों की पहचान कर अगले टीकाकरण सत्र/अभियान के दौरान उनका टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करना।
   - आशा द्वारा पहचान किये गए बीमार नवजात/कम वजन के बच्चों/कुपोषित बच्चों और अन्य बच्चों जिन्हें उचित उपचार की आवश्यकता है को समय पर उच्च केन्द्रों पर रेफरल करना।
   - उन परिवारों को प्रेरित करना जिन्हें स्वास्थ्य पूर्ण व्यवहार एवं परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने में आशा को कठिनाई हो रही है।
   - दीर्धकालिक बीमारियों वाले रोगी, जिन्होंने उप केंद्र में फोलोअप के लिए रिपोर्ट नहीं की है उन लोगों को नियत दिवस पर आयोजित किये जाने वाले विशेष चिकित्सा शिविर में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
   - जिन क्षेत्रों में आशा कार्यरत नहीं हैं एवं बुखार के ज्यादा रोगी है उस क्षेत्र का भ्रमण कर रक्त पटिका बनाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच हेतु भेजना/मलेरिया के संदिग्ध मामलों से तत्काल आरडीटी (RAPID DIAGNOSTIC TEST) करना एवं रिकॉर्ड रखना । पॉजीटिव प्रकरणों में निर्देशानुसार उपचार उपलब्ध कराना।
   - अपने स्वास्थ्य केंद्र की परिसीमा में मच्छरदानी का वितरण करना और उपयोग के बारे में आमजन को अवगत करवाना/घरों में गुणवत्ता युक्त कीटनाशक का स्प्रे करवाना सुनिश्चित करना।
   - किसी भी मातृ या शिशु मृत्यु की प्रारंभिक जांच कर सीएचओ और पीएचसी–एमओ को सूचित करना।
   - किसी भी संचारी रोग के मामलों की असामान्य रूप से बढोतरी होने पर निगरानी रखते हुए सीएचओ और पीएचसी–एमओ को सूचित करना।
   - घरेलू स्तर पर नमक का नियमित परीक्षण करने की जानकारी प्रदान करना/नमक परीक्षण किट के माध्यम से आयोडीन की उपस्थिति के लिए आशाओं द्वारा सुनिश्चित करवाना।

4- प्रशासनिक कार्यः–

– आशा के मार्गदर्शक एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करनाः–

- उसके किट में कम हो गयी दवा की पुनःपूर्ति।
- उन लोगों (जो आघात/आपदा/महामारी से ग्रसित हुए हो) में पोषण की कमी के लिए सर्वेक्षण करना/आघात/आपदा/महामारी से ग्रसित रहे लोगों में जीवन शैली में परिवर्तन लाने के साथ पोषण एवं आहार बारे में जागरूकता लाना
- समुदाय स्तर पर और राहत शिविरों में जागरूकता पैदा करने, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने एवं जागरूकता पैदा करने के लिए महिला समूह, स्वयं सहायता समूहों (एमओआरडी, भारत सरकार के तहत) परामर्श करना एवं उनसे समन्वय स्थापित करना।
- आईसीडीएस के साथ तालमेल/समन्वय बनाते हुए कम वजन वाले/कुपोषित बच्चे के पोषण हेतु आंगनवाड़ी केन्दों की पूर्ण निगरानी करवाते हुए पोषण की सलाह देना एवं गंभीर प्रकरणों को रेफरल करवाना।
- आपदा के समय राहत शिविरों में पोषण पर जागरूकता पैदा करना, शारीरिक विकास की जॉच के साथ–साथ अन्य सेवा वितरण कार्यों की निगरानी करना ।
- आपात स्थिति में सामुदायिक स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा करते हुए रोगी का फोलोअप करना
- नवजात और छोटे बच्चों की घर पर देखभाल करने के लिए आशा का सहयोग सुनिश्चित करना।
- टीबी रोगियों को नियमित उपचार लेने के लिए प्रेरित करने हेतु आशा की सहायता करना।

5- रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखरखाव के कार्यः–

- रजिस्टर में प्रविष्टियाँ दर्ज करना/हाउसकीपिंग कार्य, रिपोर्ट तैयार करने हेतु डेटा प्रविष्टि एवं बैठकों की समीक्षा करना।
- सीएचओ एचडब्ल्यूसी के प्रत्येक परिवार का एक फोल्डर बनाने में सहयोग देना।
- पीएचसी में मासिक बैठकों में भाग लेना।
- उपकेन्द्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हो रही जन्म और मृत्यु का समय पर दस्तावेजीकरण और पंजीकरण सुनिश्चित करें।
- वीएचएसएनसी बैठकों में भाग लें और सुनिश्चित करें कि बैठकों के कार्यवाही विवरण को रिकॉर्ड किया जाता है साथ ही उनका रख रखाव किया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात आरसीएच पोर्टल, एनसीडी, एचएमआईएस, आईडीएसपी, एचडब्लूसी, निक्षय आदि के लिए रिपोर्ट बनाना और समय पर प्रस्तुत करना।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0 क0
एवं मिशन निदेशक,एनएचएम

F- 42(504)/NHM/HWC/CHO/ 2022-23/ 236 दिनांकः– 05/08/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक,एनएचएम।
2. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
3. विशेषाधिकारी, एनएचएम।
4. निदेशक, वित्त एनएचएम।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
6. समस्त परियोजना निदेशक, एनएचएम।

7. राज्य नोडल अधिकारी, समस्त कार्यक्रम एनएचएम।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचनार्थ।
9. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (हैल्थ) को सूचनार्थ।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक को आवश्यक पालनार्थ।
11. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
13. समस्त ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक को आवश्यक पालनार्थ।
14. समस्त सामुदायिक स्वस्थ्य अधिकारी, सीएचओ को आवश्यक पालनार्थ।
15. प्रभारी, सर्वर कक्ष को सम्बन्धित को ई–मेल एवं विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश कुमार यादव)
परियोजना निदेशक
एनएचएम